




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 446] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 23, 1993/पौष 2, 1915
No. 446] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 23, 1993/PAUSA 2, 1915

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1993

मा.का.नि. 760(अ).—देशीय सरकार, मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश 30) की धारा 40 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और शब्दों का अर्थ।—(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यादेश, 1993 (वित्त, अर्थ और प्रशासन विभाग) अध्यादेश, 1993 है।

- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएँ:—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा प्रपेक्षित न हो:—
- (क) "अध्यक्ष" से राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है,

- (ख) "सदस्य" से राष्ट्रीय आयोग का, अध्यादेश की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त, सदस्य अभिप्रेत है;
- (ग) "राष्ट्रीय आयोग" से अध्यादेश की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है;
- (घ) "अध्यादेश" से मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 (1993 का अध्यादेश 30) आशय है;
- (ङ) उन अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अध्यादेश में परिभाषित हैं वहां प्रयुक्त होंगे जो अध्यादेश में हैं।

3. वेतन:—
- (क) अध्यक्ष को उतना वेतन दत्त किया जाएगा जो भारत में मुख्य न्यायमूर्ति के वेतन के बराबर है,
- (ख) सदस्य को उतना वेतन दत्त किया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर है:

परन्तु यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपनी नियुक्ति के समय, संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा की वास्तु कोई पेंशन (जो अनाकता या क्षति पेंशन से निम्न है) प्राप्त कर रहा है या उसने ऐसा करने का पात्र होने पर लेने का चयन किया था तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा की वास्तु उसका वेतन :—

(i) उस पेंशन की रकम तक,

(ii) यदि उसने, पद ग्रहण करने से पहले, ऐसी पूर्व सेवा की वास्तु उसे देय पेंशन के एक भाग के बदले में उसका संरक्षित मूल्य प्राप्त किया था तो पेंशन के उम्र भाग की रकम तक, और

(iii) उसके द्वारा लिये या उपभोग किये जा रहे या लिये या उपभोग किए जाने वाले किसी अन्य प्रकार के सेवा निवृत्ति फायदों तक; पटा दिया जायेगा।

4. छुट्टी :—(1) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति होने पर कोई व्यक्ति निम्नलिखित रूप में छुट्टी का हकदार होगा :—

(i) सेवा के प्रत्येक संपूरित कलण्डर वर्ष या उसके भाग के लिये पन्द्रह दिन की दर से उपाजित छुट्टी;

(ii) सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष की वास्तु बीस दिन की दर से भिकित्सीय प्रमाणपत्र पर या निजी काम के लिये छुट्टी वेतन छुट्टी और छुट्टी वेतन छुट्टी के लिये छुट्टी वेतन उपाजित छुट्टी के दौरान अनुमेय छुट्टी वेतन के प्राप्ति के समतुल्य होगा,

(iii) छुट्टी वेतन छुट्टी अध्यक्ष या किसी सदस्य के विवेकानुसार पूर्ण वेतन छुट्टी में परिवर्तित की जा सकती है यदि वह अस्वस्थता के आधार पर ली जाती है और किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के चिकित्सीय प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित हो;

(iv) एक पदावधि में वेतन और भत्तों के द्विगुण अधिकतम एक ही मस्यी दिन तक की समाधारण छुट्टी।

(2) अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीय आयोग में अपनी पदावधि की समाप्ति पर, अपने खाते में यथाया उपाजित छुट्टी की वास्तु छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद इस भत्त के अधीन रहते हुए प्राप्त करने के हकदार होंगे कि यथास्थिति, इस उपनियम के अधीन या पूर्व सेवा से

नियुक्ति के समय या दोनों को मिलाकर मुताबिक गैर अधिकतम छुट्टी किसी भी वर्ष में 240 दिन से अधिक नहीं होगी।

(3) अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रीय आयोग में अपना पद छोड़ने की तारीख को प्रयुक्त दरों से उपनियम (2) के अधीन छुट्टी वेतन पर तथा अनुमेय मंहगाई भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे:

परन्तु वह ऐसी छुट्टी पर किसी अन्य भत्तों के लिए नगर प्रतिकारत्मक भत्ते का हकदार नहीं होगा।

(4) यदि उच्चतम न्यायालय के किसी जज या न्यायाधीन या किसी उच्च न्यायालय के प्राचीन मुख्य न्यायमूर्ति की सदस्य के रूप में नियुक्ति की जाती है तो, उपनियम (1), उपनियम (2) या उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीन (सेवा भत्तों) अधिनियम, 1958 के अध्याय 2 या उच्च न्यायालय न्यायाधीन (सेवा भत्तों) अधिनियम, 1954 के अध्याय 2 के उपबंध उच्चतम न्यायालय के प्राचीन न्यायाधीन या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में उसकी अधिष्ठाता की तारीख तक उन लागू होंगे और उसके पश्चात् वह इस नियम के उपनियम (1) से उपनियम (3) के उपबंधों के अनुसार छुट्टी का हकदार होगा।

(5) छुट्टी यात्रा रियायत :—अध्यक्ष और सदस्य उन्ही दरों से और उन्ही मापमान पर और उन्ही गतों पर, जो भारत सरकार के सचिव को लागू है, छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार होंगे:

परन्तु यदि उच्चतम न्यायालय के प्राचीन न्यायाधीन या किसी उच्च न्यायालय के प्राचीन मुख्य न्यायमूर्ति की सदस्य के रूप में नियुक्ति की जाती है तो, इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीन को लागू नियम या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीन को लागू नियम उसकी अधिष्ठाता की तारीख तक लागू होंगे और उसके पश्चात् इस नियम के उपबंध लागू होंगे।

6. छुट्टी मंजूर करने के लिए रायम प्राधिकारी :—अध्यक्ष या किसी सदस्य को छुट्टी मंजूर करने या उससे इंकार करने और उसे मंजूर की गई छुट्टी को प्रतिसंहत या कम करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।

7. यात्रा भत्तों :—अध्यक्ष और सदस्य, दरों के दौरान (जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय आयोग में कार्यभार ग्रहण करने या राष्ट्रीय आयोग से उसकी पदावधि की समाप्ति पर स्व-नगर जाने के लिए की गयी यात्रा भी है) :—

(क) यात्रा भत्तों, वैयक्तिक चीज वस्तु के परिवहन और ऐसी ही अन्य व्ययों के लिए भत्तों के उन्ही मापमान पर और उन्ही दरों से हकदार होंगे जो भारत सरकार के सचिव को अनुमेय है।

(च) दैनिक नये के उन्हीं दरों से हफ्तादर होंगे जो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा-भत्ते) नियम, 1959 के अधीन किसी न्यायाधीश को प्रदत्त है :

परन्तु यदि उच्चतम न्यायालय के किसी भारतीय न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के भारतीय मुख्य न्यायमूर्ति की सदस्य के रूप में नियुक्त की जाती है तो, इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को लागू नियम या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लागू नियम उसकी अधिष्ठाता की तारीख तक लागू होंगे और उनके पश्चात् इस नियम के उपबंध लागू होंगे।

8. सेवा-शर्तें :—किरामामुक्त वास, प्रवृत्त सुविधाओं, पिकनिस सुविधाओं की व्यवस्था में संबंधित सेवा-शर्तें और ऐसी अन्य सेवा-शर्तें, जो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) अधिनियम 1958 के अध्याय 4 और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तत्समय लागू हैं, जहां तक हो सके, अग्र्यदा और सदस्य को लागू होंगे।

9. साधारण भविष्य निधि में अभिदाय का अधिकार :—अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) में अभिदाय करने का हकदार होगा।

10. अवशिष्ट उपबंध :—अध्यक्ष और सदस्यों की उन सेवा शर्तों का, जिनके लिए इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के भारत सरकार के सचिव को तत्समय लागू नियमों और शर्तों द्वारा अधिधारण किया जाएगा।

11. नियम लिपिबद्ध करने की शक्ति :—केन्द्रीय सरकार को इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वास्तव में लिपिबद्ध करने की शक्ति होगी।

[फा. सं. 13026/202/93/के-3]

मधुकर गुप्ता, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 1993

G.S.R. 760(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 40 of the Protection of Human Rights Ordinance, 1993 (Ord. 30 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement & (f) These rules may be called the National Human Rights Commission Chairperson and Members (Salaries, Allowances and other Conditions of Service) Rules, 1993.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions : In these rules, unless the context otherwise requires :

- (a) "Chairperson" means the Chairperson of the National Commission;
- (b) "Member" means the Member of the National Commission appointed under sub-section (2) of Section 3 of the Ordinance;
- (c) "National Commission," means the National Human Rights Commission constituted under sub-Section (1) of section 3 of the Ordinance;
- (d) "Ordinance" means the Protection of Human Rights Ordinance (Ord. 30 of 1993);
- (e) all other words and expressions used in these Rules and not defined but defined in the Ordinance shall have meanings respectively assigned to them in the Ordinance.

3. Salary : There shall be paid to :

- (a) the Chairperson, a salary which is equal to the salary of the Chief Justice of India;
- (b) a Member, a salary which is equal to the salary of a Judge of the Supreme Court:

Provided that if the Chairperson or a Member at the time of his appointment was in receipt of, or being eligible so to do, had elected to draw, a pension (other than disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of the Union or Government of a State, his salary in respect of service as a Chairperson or as the case may be a Member shall be reduced :

- (i) by the amount of that pension;
- (ii) if he had, before assuming office, received, in lieu of a portion of pension due to him in respect of such previous service, the commuted value thereof by the amount of that portion of the pension; and
- (iii) by any other form of retirement benefits, being drawn or availed of or to be drawn or availed of by him.

4. Leave : (1) A person, on appointment as Chairperson or as a Member shall be entitled to leave as follows :

- (i) earned leave @ fifteen days for every completed calendar year of service or a part thereof;
- (ii) half pay leave on medical certificate or on private affairs @ twenty days in respect of each completed year of service and the leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave;

(iii) leave on half pay can be commuted to full pay leave at the discretion of Chairperson or a Member if it is taken on medical ground and is supported by a medical certificate from the competent medical authority;

(iv) extraordinary leave without pay and allowances upto a maximum of one hundred eighty days in one term of office.

(2) On the expiry of his term of office in the National Commission, the Chairperson and Members shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary in respect of earned leave standing to his credit subject to the condition that the maximum of leave encashed under this sub-rule or at the time of retirement from previous service, as the case may be or taken together shall not in any case exceed 240 days.

(3) The Chairperson and the Members shall be entitled to receive dearness allowance as admissible on the leave salary under sub-rule (2) at the rates in force on the date of the relinquishment of their office in the National Commission:

Provided that he shall not be entitled to city compensatory allowance or any other allowance on such leave.

(4) If a sitting Judge of Supreme Court or a sitting Chief Justice of High Court is appointed as a Member, then notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) or (3), the provisions of Chapter II of the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 or as the case may be, Chapter II of the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 shall apply to him up to the date of his superannuation as a sitting Judge of Supreme Court or as the Chief Justice of a High Court and thereafter he shall be entitled to leave in accordance with the provisions of sub-rules (1) to (3) of this rule.

5. Leave Travel Concession :—The Chairperson and the Members shall be entitled to leave travel concession at the same rates and at the same scales, and on the same conditions as are applicable to a Secretary to the Government of India :

Provided that if a sitting Judge of the Supreme Court or a sitting Chief Justice of a High Court is appointed as a Member, then notwithstanding anything contained in this rule, the rules applicable to a Judge of the Supreme Court or rules applicable to a Judge of a High Court as the case may be, shall be applicable till the date of his superannuation and thereafter the provisions of this rule shall apply.

6. Authority competent to grant leave :—The power to grant or refuse leave to the Chairperson or a Member and to revoke or curtail leave granted to him, shall vest in the President.

7. Travel Allowances :—The Chairperson and the Members, while on tour (including the journey undertaken to join the National Commission or on the expiry of his term with the National Commission to proceed to his home town) shall be entitled to:—

(a) travel allowances, allowances for transportation of personal effects and other similar matters at the same scales and at the same rates as are admissible to a Secretary to the Government of India ;

(b) daily allowance at the same rates as are admissible to a Judge under the Supreme Court Judges (Travelling Allowances) Rules, 1959:

Provided that if a sitting Judge of the Supreme Court or a sitting Chief Justice of a High Court is appointed as a Member, then notwithstanding anything contained in this rule, the rules applicable to a Judge of the Supreme Court or rules applicable to a Judge of a High Court as the case may be, shall be applicable till the date of his superannuation and thereafter the provisions of this rule shall apply.

8. Other conditions of Service :—The conditions of service relating to provision of rent free accommodation, conveyance facilities, medical facilities and such other conditions of service as are, for the time being, applicable to a Judge of the Supreme Court under Chapter IV of the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 and the rules made thereunder shall so far as may apply to the Chairperson and the Members.

9. Right to Subscribe to General Provident Fund:—Every person holding office as a Chairperson or a Member shall be entitled to subscribe to the General Provident Fund (Central Service).

10. Residuary provisions:—The conditions of service of the Chairperson and the Members for which no express provision is made in these rules shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to a Secretary to Government of India belonging to Indian Administrative Service.

11. Power to relax rules :—The Central Government shall have the power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or categories of persons.

[File No. 13026/202/93-K.III]
MADHOKAR GUPTA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

शासक सं. प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 11, 1994/भाग 22, 1915
No. 67, NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11, 1994/MAG[II]A 22, 1915

गृह मंत्रालय

(मानव अधिकार सेल)

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1994

सुदिपत्र

सा. का. नि. 92(अ) — राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रश्नांश और सदस्य (बैतन, भत्ते और अन्य सेवा मती) नियम, 1993 जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 23 दिसम्बर, 1993 की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 760(अ) में प्रकाशित किए गए थे, में —

(क) नियम 3 के उप-बिंदु (ii) की वाक्य 4 में "या तो पेशन" के स्थान पर "या तो, पेशन" पढ़ा जाए।

(ख) नियम 4 के उप-नियम-(3) में "तथा अनुभव" के स्थान पर "यथा अनुभव" पढ़ा जाए।

451 GI/94

(1)

न्यायालय न्यायाधीन (यात्रा-भत्ते) नियम, 1959 के प्रचलित उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीन को प्रयुक्त है।"

(ग) नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम लगा जाएगा, प्रस्ताव :-

"7. यात्रा भत्ते :- अध्यक्ष और सदस्य, दोरे के दौरान (जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय पावोन में कार्य-भार ग्रहण करते या राष्ट्रीय पावोन से अपनी पदावधि की समाप्ति पर स्वतंत्र जाने के लिए की गई यात्रा भी है), यात्रा भत्तों, वैयक्तिक चीजों के परिवहन और ऐसी ही अन्य बातों के लिए भत्तों तथा दैनिक भत्तों के उन्हीं दरों में हस्तांतर होने, जो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीन (यात्रा-भत्ते), नियम, 1959 के प्रचलित उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीन को प्रयुक्त है।"

[क्र.सं. 13026/202/93-के-3]

मधुकर गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 1994

G.S.R. 8(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 49 of the Protection of Human Rights Ordinance, 1993 (Ordinance 30 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Human Rights Commission Chairperson and Members (Salaries, Allowances and other Conditions of Service) Rules, 1993, namely :-

1. (1) These rules may be called 'the National Human Rights Commission Chairperson and Members (Salaries, Allowances and other Conditions of Service) Amendment Rules, 1994.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Human Rights Commission Chairperson and Members (Salaries, Allowances and other Conditions of Service) Rules, 1993,—

(a) in rule 2,—

(i) in clause (a), for the words "a salary which is equal to the salary", the words "salary and allowances which are equal to the salary and allowances" shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the words "a salary which is equal to the salary", the words "salary and allowances which are equal to the salary and allowances" shall be substituted.

(b) for rule 5, the following rule shall be substituted, namely :-

"5. Leave Travel Concession.—The Chairperson and the Members shall be entitled to the same leave travel concession as are admissible to a Judge of the Supreme Court under the Supreme Court Judges (Travelling Allowances) Rules, 1959."

(c) for rule 7, the following rule shall be substituted, namely :-

"7. Travel Allowances.—The Chairperson and the Members while on tour (including the journey undertaken to join the National Commission on the expiry of his term with the National Commission to proceed to his home town) shall be entitled to travel allowances, allowances for transportation of personal effects and other similar matters and daily allowances at the same rates as are admissible to a Judge of the Supreme Court under the Supreme Court Judges (Travelling Allowances) Rules, 1959."

[F.No. 13026/202/93-K. 111]
MADHUKAR GUPTA, Jr. Secy.

- (ग) नियम 4 के उप-नियम (3) की छठी लाइन में "होगा" के स्थान पर "होता" पढ़ा जाए ;
- (घ) नियम 8 की लाइन 4 में "(सिवा-पते)" के स्थान पर "(सिवा-पते)" पढ़ा जाए ;
- (ङ) नियम 8 की लाइन 7 में "होते" के स्थान पर "होती" पढ़ा जाए ।

[क्र. सं. 13026/202/93-के-III]

मधुकर गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Human Rights Cell)

New Delhi, the 11th February, 1994

CORRIGENDA

G.S.R. 92(E).—In the National Human Rights Commission Chairperson and Members (Salaries, Allowances and other Conditions of Service) Rules, 1993, published in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. GSR 760(E), dated the 23rd December, 1993. —

- (a) in clause (c) of rule 2, for the word "Rules" read "rules";
- (b) in rule 3.
- (i) in the marginal heading, for the word "Salaray" read "salary";
- (ii) in the proviso to clause (b), after the words "as the case may be" and before the words "a Member" the punctuation mark "," shall be inserted;
- (c) in rule 4.
- (i) in sub-rule (3), for the word "NationaL" read "National";
- (ii) in sub-rule (4), for the words "not withstanding" read "notwith-standing";
- (d) in the proviso to rule 7, in the last line, for the word "rules" read "rule";
- (e) in rule 8, for the words "may apply to the Chairperson" read "may be; apply to the Chairperson".

[F. No. 13026/202/93-K.III]
MADHUKAR GUPTA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1994

सूचित

सा. का. नि. 93(अ) —राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य (बिना भत्ते और अन्य सेवा शर्तों) सम्बंधित नियम, 1994 से भारत सरकार, गृह विभाग की विभांक 7 जनवरी, 1994 की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 8(अ) में प्रकाशित किए गए थे, में :-

- (क) पैरा 1 की शक्ति 6 में "बनाते" के स्थान पर "बनाती" पढ़ा जाए ;
 (ख) शब्द (ग) में "गान्धा भत्ते" शीर्षक की दूसरी शक्ति में "अंतगत" के स्थान पर "अन्तर्गत" पढ़ा जाए ;

[फा. सं. 13026/202/93-के.-III]

मधुकर गुप्ता, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 11th February, 1994

CORRIGENDA

G.S.R. 93(E).—In the National Human Rights Commission Chairperson and Members (Salaries, Allowances and other Conditions of Service) Amendment Rules, 1994, published in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. GSR 8(E), dated the 7th January, 1994,—

(a) in rule 2,—

(i) in clause (a), for "in rule 2" read "in rule 3";

(ii) in clause (c), for the word "Commissioner" read "Commission or" and for the word "Supreme Court", read "Supreme Court".

[F. No. 13026/202/93-K.III]

MADHUKAR GUPTA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

15/7
1999

सं. 382]
No. 382]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 1999/श्रावण 1, 1921
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 1999/SRAVANA 1, 1921

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1999

(आयकर)

सा.का.नि. 548 (अ).—केंद्रीय सरकार, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1993 का 10) की धारा 40 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन, भत्ते और अन्य सेवा की शर्तें) नियम, 1993 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनायी है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ होना - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन, भत्ते और अन्य सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन, भत्ते और अन्य सेवा की शर्तें) नियम, 1993 के नियम 4 के उपनियम (2) में "240 दिन" अंक और शब्द के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"ऐसी छुट्टी के नकदीकरण के लिए अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियम, 1955 के अधीन विहित अधिकतम अपवाद।"

[फा. सं. 150113(31)99-एच. आर.]

संयुक्त सचिव (के. II/एच. आर.)

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 760 अ तारीख 23-12-93 को प्रकाशित हुए तदुपरोक्त सा.का.नि. सं. 8(अ) तारीख 7-1-94 द्वारा संशोधित हुए।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 1999

G.S.R. 548(E).— In exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (2) of section 40 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (10 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the National Human Rights Commission Chairperson and Members (Salaries, Allowances and Other Conditions of Service) Rules, 1993, namely:—

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called the National Human Rights Commission ^{and} Chairperson and Members (Salaries, Allowances and other Conditions of Service) Amendment Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In rule 4 of the National Human Rights Commission Chairperson and Members (Salaries, Allowances and Other Conditions of Service) Rules, 1993, in sub-rule (2), for the numbers and words "240 days" the following shall be substituted, namely -

"the maximum period prescribed for encashment of such leave under the All India Service (Leave) Rules, 1955."

[F. No. 150113/31/99-HR]

RAKESH HOOJA, Jt. Secy. (K. II/HR)

Foot Note : The principal Rules were published in the Extraordinary Gazette of India vide GSR No. 760(E) dated 23-12-93 and subsequently amended vide GSR No. 8(E) dated 7-1-94.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 25, 2000/कार्तिक 3, 1922

No. 547]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2000/KARTIKA 3, 1922

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2000

सा. का. नि. 837(अ).—केन्द्रीय सरकार, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का 10) की धारा 40 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन, भत्ते और अन्य सेवा की शर्तें) नियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. § 1§ इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य § वेतन भत्ते और अन्य सेवा की शर्तें § संशोधन नियम, 2000 है ।
§ 2§ ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य § वेतन, भत्ते और अन्य सेवा की शर्तें § नियम, 1993 § जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है §, के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :
"5. छुट्टी यात्रा रियायत—अध्यक्ष और सदस्य उसी छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार होंगे जो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश § वेतन भत्ते § नियम, 1959 के अधीन क्रमशः भारत के मुख्य न्यायाधिका और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय है ।"

3. उक्त नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"7. यात्रा भत्ते-अध्यक्ष और सदस्य, दोरे के दौरान जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग में कार्यभार ग्रहण करने या राष्ट्रीय आयोग से उसकी पदावधि की समाप्ति पर स्वनगर जाने के लिए की गई यात्रा की है। यात्रा भत्ते वैयक्तिक चीज वस्तु और वैसी ही अन्य समान सामग्री के परिवहन के लिए भत्ते, तथा उन्हीं दलों से दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ते नियम, 1959 के अधीन क्रमशः भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अनुक्षेय है।

4. उक्त नियम के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"8. अन्य सेवा शर्तें.—किराया मुक्त वास, प्रवहन सुविधा, चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था से संबंधित सेवा शर्तें और अन्य ऐसी सेवा शर्तें जो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 के अध्याय 4 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को तत्समय लागू हैं, जहां तक हो सके, क्रमशः अध्यक्ष और सदस्यों को लागू होंगी।"

[फा. सं. 15011/23/2000-एच. आर.]

ए. के. जैन, संयुक्त सचिव (एच.आर.)

टिप्पण:— मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 760 अ. तारीख 23/12/93 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 8 अ., तारीख 7-1-94 और सा.का.नि. 548 अ., तारीख 20-7-99 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2000

G.S.R. 837(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 40 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (10 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Human Rights Commission Chairperson and Members (Salaries,

allowances and other conditions of service) Rules, 1993,
namely:-

1. (1) These rules may be called the National Human Rights Commission Chairperson and Members (Salaries, Allowances and other Conditions of Service) Amendment Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Human Rights Commission Chairperson and Members (Salaries, Allowances and Other Conditions of Service) Rules, 1993 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 5, the following rule shall be substituted, namely :-

5. Leave Travel Concession.- The Chairperson and the Members shall be entitled to the same leave travel concession as are admissible to the Chief Justice of India and to a Judge of the Supreme Court respectively under the Supreme Court Judges (Travelling Allowances) Rules, 1959.

3. In the said rules for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:-

7. Travel Allowance.- The Chairperson and the Members while on tour (including the journey

THE GAZETTE OF INDIA
undertaken to join the National Commission or on
the expiry of its term with the National
Commission to proceed to his home town) shall be
entitled to travel allowance, allowance for
transportation of personal effects and other
similar matters and daily allowance at the same
rates as are admissible to the Chief Justice of
India and to a Judge of the Supreme Court
respectively under the Supreme Court Judges
(Travelling Allowances) Rules, 1959.

4. In the said rules, for rules 8, the following
rule shall be substituted, namely :-

8. Other Conditions of Service.- The
conditions of service relating to provision of
rent free accommodation, conveyance facilities,
medical facilities and such other conditions of
service as are for the time being applicable to
the Chief Justice of India and to a Judge of the
Supreme Court under Chapter IV of the Supreme
Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958
and the rules made thereunder shall so far as may
apply to the Chairperson and the Members
respectively.

[F. No. 15011/23/2000-HR]

A. K. JAIN, Jr. Secy. (H.R.)

Note :- The principal rules were published in the
Gazette of India vide number GSR 760(E) dated
23.12.93 and subsequently amended vide GSR
8(E) dated 7.1.94 and GSR 548 (E) dated
20.7.99.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 585]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 21, 2001/कार्तिक 30, 1923

No. 585]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 21, 2001/KARTIKA 30, 1923

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2001

सा.का.नि. 857(अ).—केंद्रीय सरकार, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का 10) की धारा 40 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन, भत्ते और अन्य सेवा की शर्तों) नियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन, भत्ते और अन्य सेवा की शर्तों) संशोधन नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन, भत्ते और अन्य सेवा की शर्तों) नियम, 1993 के नियम 4 के उपनियम (1) के खंड (i) में "सेवा के प्रत्येक संपूर्ण कलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए पन्द्रह दिन की दर से उपार्जित छुट्टी" शब्दों के स्थान पर "सेवा के प्रत्येक संपूर्ण कलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए 30 दिन की दर से उपार्जित छुट्टी" शब्द और अंक रचे जाएंगे।

[फा. सं. 15011/42/2001-एचआर.]
सुरेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव (एचआर)

टिप्पण:—मूल नियम भारत के राजपत्र में सा. का. नि. सं. 760(अ) तारीख 23 दिसंबर, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें परवर्द्धनी संशोधन सा. का. नि. 8(अ) तारीख 7 जनवरी, 1994 सं. सा. का. नि. 548(अ) तारीख 20 जुलाई, 1999 और सं. सा. का. नि. 837(अ) तारीख 20 अक्टूबर, 2000 द्वारा किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2001

G.S.R. 857(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 40 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (10 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Human Rights Commission Chairperson and Members (Salaries, Allowances and other Conditions of Service) Rules, 1993, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Human Rights Commission Chairperson and Members (Salaries, Allowances and other Conditions of Service) Amendment Rules, 2001

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the National Human Rights Commission Chairperson and Members (Salaries, Allowances and other Conditions of Service) Rules, 1993, in clause (i) of sub-rule (1) of rule 4, for the words and figure "earned leave @ 15 days for every completed calendar year of service", the words and figure "earned leave @ 30 days for every completed calendar year of service", shall be substituted.

[F. No. 15011/42/2001-HR]
SURENDRA KUMAR, Jr. Secy. (HR)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 760(F) dated the 23rd December, 1993 and subsequently amended vide G.S.R. 8(E) dated the 7th January, 1994, No. G.S.R. 548(E) dated the 20th July, 1999 and No. G.S.R. 837(E) dated the 20th October, 2000.